

83
15/1/2020



दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
ऊर्जा भवन, 220 के०वी० सब-स्टेशन, आगरा-मथुरा बाईपास रोड, सिकन्दरा, आगरा (उ०प्र०)
फोन- 0562 2605699, फैक्स- 0562 2605465

उ० प्र० सरकार का उपक्रम

कार्यालय झाप

पूर्व में अनेक प्रसंगों में संज्ञान में लाया गया है कि उपभोक्ताओं द्वारा विभाग में जमा किया गया बैंक चैक ने बिना भुगतान के वापस कर दिया है। यदि यह स्थिति है तो बैंक बनाने वाले के बारे में यह मान लिया जायेगा कि उसने एक अपराध किया है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instrument Act, 1881) की धारा 138 में अंकित किया गया है-

“138. Dishonour of cheque for insufficiency, etc., of funds in the account.—Where any cheque drawn by a person on an account maintained by him with a banker for payment of any amount of money to another person from out of that account for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability, is returned by the bank unpaid, either because of the amount of money standing to the credit of that account is insufficient to honour the cheque or that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with that bank, such person shall be deemed to have committed an offence and shall, without prejudice to any other provision of this Act, be punished with imprisonment for [a term which may be extended to two years], or with fine which may extend to twice the amount of the cheque, or with both:

Provided that nothing contained in this section shall apply unless—

- the cheque has been presented to the bank within a period of six months from the date on which it is drawn or within the period of its validity, whichever is earlier;
- the payee or the holder in due course of the cheque, as the case may be, makes a demand for the payment of the said amount of money by giving a notice, in writing, to the drawer of the cheque, [within thirty days] of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the cheque as unpaid; and
- the drawer of such cheque fails to make the payment of the said amount of money to the payee or, as the case may be, to the holder in due course of the cheque, within fifteen days of the receipt of the said notice.

Explanation.—For the purposes of this section, “debt of other liability” means a legally enforceable debt or other liability.”

एतद्वारा डिस्कॉम आगरा की सभी इकाईयों को निर्देशित किया जाता है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instrument Act, 1881) के अन्तर्गत लेखों में जमाराशि अपर्याप्त होने के कारण बैंको के अनादृत (Dishonour) होने की दशा में दोषी के विरुद्ध एक सप्ताह के भीतर नोटिस जारी कराने एवं मा० न्यायालय में कम्प्लेन्ट (Dishonour) होने का दायित्व खण्ड में तैनात डिविजनल असिसटेन्ट (रिवेन्यू) का होगा। प्रकरण का पर्यवेक्षण सम्बन्धित उप मुख्य लेखाधिकारी द्वारा किया जायेगा। अगर एक सप्ताह के भीतर दोषी को नोटिस जारी नहीं कराया जाता है अथवा कम्प्लेन्ट केस समय दायर नहीं किया जाता है तो समस्त दायित्व डिविजनल असिसटेन्ट (रिवेन्यू) का निर्धारित किया जायेगा तथा लगातार पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी उप मुख्य लेखाधिकारी की होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

प्रबन्ध निदेशक

दिनांक:- 14 / 01 / 2020

पत्रांक:- 559/प्र०नि०/द०वि०वि०नि०लि०/विधि प्रकोष्ठ

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- निदेशक (तकनीकी/वाणिज्य/प्रशा०), द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
- निदेशक (वित्त) द०वि०वि०नि०लि०, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी एवं डिविजनल असिसटेन्ट (रिवेन्यू) से सम्बन्धित आई०डी० फर्म एच०सी०एल० एवं फिलुएन्ट ग्रिड सिस्टम से आगामी एक सप्ताह के भीतर सृजित कराना सुनिश्चित करे।
- मुख्य अभियन्ता (तकनीकी/वाणिज्य/सामग्री प्रबन्धन/प्रशा०), द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), आगरा-प्रथम/द्वितीय/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी/बाँदा।
- समस्त अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल/विद्युत नगरीय वितरण मण्डल
- समस्त अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड/विद्युत नगरीय वितरण खण्ड
- अधीक्षण अभियन्ता (आई०टी०) द०वि०वि०नि०लि०, आगरा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(सौम्या अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

1/14/2020

52

Page 52

52-Computer-4/Desktop/DLO

ऊर्जा भवन, 220 के०वी० उपसंस्थान, बाईपास रोड, आगरा-282 007, फोन-(0562) 2605699 फैक्स-(0562) 2605465

दिपण्णी : पत्रोत्तर देते समय इस कार्यालय का पत्रांक अवश्य लिखें। parveenadavalo@yahoo.com /dloagra2018@gmail.com